न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 130/11 (वाद)
GCMS No. : 2011/00032

1. श्री कालुलाल पिता उदा ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा के बजाय :–
1/1 श्री छगनलाल पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।
1/2 श्री प्रभुलाल पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।
1/3 श्री दुर्गाशंकर पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।
1/4 जमनादेवी पुत्री कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।
1/5 श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।
2. सचिव जरिये नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 13.11.2024

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 4370/357, 4371/357 किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैरकाबिल काश्त/काबिल काश्त दर्ज हैं।
2. यह कि वादपत्र में वर्णित आराजीयात पर मुझ वादी व मुझ वादी के पिता का कब्जा सम्वत् 2032 से निरन्तर निर्विवाद चला आ रहा हैं और मुझ वादी के पिता की मृत्यु के बाद मुझ वादी का कब्जा बिना किसी बाधा के निरन्तर चला आ रहा हैं।
3. यह कि मुझ वादी एवं मुझ वादी के पिता ने उक्त वर्णित आराजीयात पर लाखों पर रूपया खर्चा कर उक्त भूमि को आवादान किया है तथा इसे काश्त करने योग्य बनाया है। मुझ वादी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि मुझ वादी एवं मेरे पिता द्वारा प्रतिवर्ष उक्त वर्णित आराजीयात पर फसले बोयी व काटी जाती रही है जिसका अंकन भी पटवारी पटवार हल्का गुडली द्वारा समय समय पर खसरा गिरदावरी में किया जाता रहा है एवं मुझ वादी के विरूद्व तहसीलदार मावली द्वारा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन नाजायज कब्जे की कार्यवाही भी की जा रही है एवं मैं वादी समय समय पर उक्त भूमि की पैनाल्टी भी जमा कराता आ रहा हूं। उक्त भूमि को मुझ वादी ने अपने खाते में दर्ज कराने हेतु राजस्व अधिकारियों से भी कई बार निवेदन किया था जिस पर राजस्व अधिकारियों ने वादी को आश्वासन दिया था कि भूमि उसके खाते कर देगे लेकिन बाद में वादी के नाम भूमि खाते करने से मना कर दिया।
5. यह कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर मुझ वादी व मेरे पिता का सम्वत् 2032 से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और मुझ वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् मै वादी काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं और मौसम वार फसलो की बुवाई, कटाई करता आ रहा हूं और मुझ वादी व मेरे पिता ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में लाखों रूपयों का खर्चा किया है और भी आवादान की हैं। इसलिए मैं वादी उक्त वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिए यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं।
6. यह कि वादी ने वाद पत्र में वर्णित आराजीयात को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु नियमानुसार दिनांक 06.12.2010 को प्रतिवादी को नोटिस दिया था जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया लेकिन आज दिन तक उक्त भूमि वादी के नाम पर दर्ज नहीं की गई। जिस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा हैं।
7. यह कि वादी को प्रतिवादी के विरूद्व वाद कारण प्रथम बार दिनांक 25.11.2010 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया एवं दिनांक 06.12.2010 को प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस दिया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया उसके पश्चात् भी भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की। उत्पन्न हुआ उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
8. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली में स्थित हाल आराजी नम्बर 4370/357 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 4371/357 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी संख्या 4370/357 रकबा 3.12 बीघा एवं आराजी संख्या 4371/357 रकबा 10.09 बीघा किता 2 कुल रकबा 14.01 बीघा राजस्व रेकार्ड में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज होने से वादी का किसी प्रकार का कोई टाईटल नहीं बनता हैं। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा था जिसके लिए वादीगण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् बेदखल किया गया हैं। वादीगण के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हेतु दावा किया है जबकि वादीगण को धारा 91 के तहत् बेदखल किया जा चुका है जिसके तहत् वादीगण का लम्बे समय से भूमि निर्बाध रूप से कब्जा नहीं रहा हैं। वादीगण द्वारा राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है जिसके तहत् वादीगण को राजकीय भूमि अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार आप माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार से परे होने से वाद खारिज योग्य है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण का वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे क्योंकि वाद पत्र में बताई गई आराजीयात न तो वादीगण के नाम पर है न ही उसमें उसका हिस्सा हैं। वादी उक्त आराजीयात में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् अतिक्रमी हैं।

10. वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण वाद प्रस्तुत करते समय बिलानाम काबिल काश्त/बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज थी तत्पश्चात् उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास के खाते दर्ज हुई जिस पर यू.आई.टी. को पक्षकार बनाया गया। वादी का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में की है उक्त तथ्य विधि का मिश्रित प्रश्न है जो दोनो पक्षकारों की तनकी उपरान्त शहादत से तय होगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। अन्य उजरात वक्त बहस अर्ज किये जावेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

11. अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

13. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली तह. मावली के खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 4370/357 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त एवं आराजी नम्बर 4371/357 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। वादीगण अपने वाद के माध्यम से सम्वत् 2032 से निर्बाध कब्जा बताकर वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज होकर राज्य सरकार के नाम दर्ज थी जो कालान्तर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा हैं। जिसके लिए वादीगण को तहसील कार्यालय से राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत् बेदखल किया गया हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।** उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री कालुलाल पिता उदा ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा के बजाय :–

1/1 श्री छगनलाल पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

1/2 श्री प्रभुलाल पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

1/3 श्री दुर्गाशंकर पिता कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

1/4 जमनादेवी पुत्री कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

1/5 श्रीमती बसन्तीबाई पत्नी कालुलाल ब्राहम्ण निवासी भैसडाखुर्द तह. गिर्वा।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।
2. सचिव जरिये नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 130/11 (वाद) GCMS No. : 2011/00032

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 13.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:48:38 IST
Reason: SelfAttested